

6/9/24 पशावली पेशी में जी जाका वक्त प्रार्थी लुनी गई।
वाफी ने कथन किया कि चक्र ॥ 576 खाता 144
व चक्र 234444 खाता सं. 189/163 में प्रार्थी

दुलीचंद का नाम दुलाराम वर्त रामस्व रिपोर्ट
है जो गलत है इसलिये दुलाराम की
जगह दुलीचंद चिर जाने का निवेदन किया।

पशावली अवलोकन किया व उपलब्ध दस्तावेजों
का गहराई से अवलोकन किया। सरपंच ग्राह
पंचायत फ्लैटगढ़ द्वारा जारी कारिनामा

पहचाना पत्र, आघात कार्ड, एश्रम कार्ड, पैन कार्ड
राशन कार्ड, बैंक पास आदि दस्तावेजों में

प्रार्थी का सही नाम दुलीचन्द वर्त रामप्रताप
अंकित है तहसीलदार इन्दुमानागढ़ द्वारा प्रेषित
मौला Report पत्रांक 1370 दिनांक 9-4-24

द्वारा अंगत करवाया कि ई. सं. 207/35-2000
द्वारा लक्षण से दुलाराम वर्त ही गया व
दुलाराम व दुलीचन्द एक ही व्यक्ति के
नाम है / मुताबिक रिपोर्ट व प्रस्तुत
दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीना पत्र खीका

कर आदेश है कि उक्त वर्णित दोनों
पकों के दोनों खातों में अंकित/वर्त
स्वातेदार दुलाराम वर्त रामप्रताप की जगह

दुलीचन्द वर्त रामप्रताप वर्त कर रामस्व
रिपोर्ट दुरुस्त किया जावे, इसी अंतर्गत
राजस्व रिपोर्ट में तहसीलदार इन्दुमानागढ़ अंक
करावे। निर्णय खुले रजिस्टर लुनाया जाकर

पशावली कोपिल कपता है।

